(01)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

प्रपत्र 'क' (नियम 3 (1) देखें) आई0 डी0 सं0 (कार्यालय प्रयोग के लिए) 05/1849

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रधान सचिव महोदय,
(विभाग/कार्यालय)

पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्राप्त कम्प्यूटरीकृत आग पंजीयन संख्या 97967 3/4/18

1. आवेदक का नाम राज किशोर सिन्हा से0 नि0 कनीय अभियंता
2. पूरा पता पथ निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, पटना
सम्प्रति- शिवशक्ति ~~कॉम्प्लेक्स~~ कम्प्लैक्स, चाँदमारी रोड, कंकड़बाग
फ्लैट नं0- 204 — पटना-20 पीन - 800020

3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

विभागीय कार्यवाही के दौरान दंडादेश सं0 258 दि0 14/10/2006 द्वारा मुझे दिये गये दंड को निरस्त कर दंडादेश पर पुनर्विचार करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्णय के आलोक में मेरे द्वारा दिनांक 06/10/2017 को श्रीमान् के कार्यालय में दिये गये अभ्यावेदन पर क्या कार्रवाई की गई, सूचित करने की कृपा करते हुए उसकी सत्यापित प्रति भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

87/सू0का0 (अ0क0)
.4.18

राज किशोर सिन्हा

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत (प्रकटीकरण से) मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

402 04/04/18 सू0का0

5. (1) मैंने .... रूपये (शब्दों में) ....
.... तिथि .... को रसीद सं0 ....
.... से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।

(2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं0 .... दिनांक ....
जो .... पदाधिकारी के पक्ष में .... बैंक
द्वारा जारी की गई है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ। Postal order

(3) मैंने 10=00 (दस रुपये) रूपये का नन ~~जुडिशियल स्टाम्प~~ इस आवेदन में लगा दिया (सबंद्ध कर दिया) है। (24F 692236)

05.4.18

~~(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।~~ X

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता : उपरोक्त

राज किशोर सिन्हा
आवेदक का हस्ताक्षर

ई–मेल पता, अगर कोई हो,

दूरभाष संख्या 9472406125

स्थान कंकड़बाग, पटना तिथि 02/04/2018.

नोट :– गरीबी रेखा से नीचे वले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।

जो लागू नहीं है उसे काट दें। अनु0 - Postal order 10=00 का दोअदद

प्रपत्र 'ज' (02)

(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)

पत्र संख्याः–लो.सू.को./आई०डी० सं.–05/18–19 2652(E) पटना, दिनांक– 6/4/18

प्रेषकः

शैलेन्द्र कुमार,
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)–सह–लो०सू०पदा०,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्री राजकिशोर सिन्हा का सूचना–आवेदन दिनांक–02.04.2018, जो इस विभाग में दिनांक–03.04.2018, को प्राप्त हुआ है **(आई०डी० सं0–05/18–19)** इसके साथ संलग्न किया जाता है :–

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा–**5 (4)** के आलोक में प्रपत्र–'क' को आपके क्षेत्राधिकार/प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा–**5 (5)** के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र–'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर प्रपत्र–'क' के आलोक में, वांछित सूचना **दो सेट में**/यदि सूचना शुल्क आवश्यक हो तो वांछित शुल्क की जानकारी, उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
06.4.18
(शैलेन्द्र कुमार),

ज्ञापांक– 2652 (E)

दिनांक– 6/4/18

प्रतिलिपि : **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–13/14(निगरानी)**, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

06.4.18
(शैलेन्द्र कुमार)

पथ निर्माण विभाग, कम्प्यूटरीकृत निर्गत पंजीयन सं० 6193 दिनांक- 9-4-18

D:\Shri S. Kumar Kosang\R.T.I. FOLDER TILL-2018\PRAPTRA LETTER\praptra.-Ja.docx

07

प्रपत्र 'घ'

(सूचना उपलब्ध कराना)

(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

नि० शाखा
कृत्यार्थ
निर्गत करें
NSK
20-04-18

पत्र संख्याः—**लो.सू.को. / आई0डी0सं0—05 / 18—19** 2978(E)we पटना, दिनांक—20/4/18

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)—सह—लो०सू०पदा०,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट सेवा में,

श्री राज किशोर सिन्हा,
सेवानिवृत कनीय अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, पटना।
सम्प्रति—शिव शक्ति कॉम्पलेक्स, चाँदमारी रोड,
कंकड़बाग, फ्लैट नं०—204, पटना—800020

महाशय,

यह आपके सूचना आवेदन दिनांक—02.04.2018, जो इस विभाग में दिनांक—03.04.2018 को प्राप्त हुआ है (**आई0डी0सं0—05 / 18—19**) सूचना की माँग के लिए अनुरोध के प्रसंग में है।

2. याचित सूचना, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—13 / 14(निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—2889(E)we दिनांक—17.04.2018 से प्राप्त है, को सानुलग्नक संलग्न किया जाता है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(ह०) 19.4.18
(शैलेन्द्र कुमार)

ज्ञापांक—2978(E) पटना, दिनांक—20/4/18

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—13 / 14(निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—2889(E)we दिनांक—17.04.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(ह०) 19.4.18
(शैलेन्द्र कुमार)

पथ निर्माण विभाग, कम्प्यूटरीकृत निर्गत पंजीयन सं० 366885 दिनांक— 20/4/18
NSK

D:\Shri S. Kumar Karanai\R.T.I. FOLDER TILL 2018\PRAPTRA LETTER\prapatra Gha.docx

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या–निग/सारा–6 द0वि0 (ग्रा0)–सूचना–15/2018 2889 (E) पटना, दिनांक :– 17/4/18

प्रेषक,

प्रशाखा पदाधिकारी–13/14
–सह–सहायक लोक सूचना पदाधिकारी।

सेवा में,

उप निदेशक (क्रय एवं परिवहन)–सह–लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– **सूचना के अधिकार अन्तर्गत आवेदक श्री राज किशोर सिन्हा के आवेदन दिनांक–03.04.18 (आई0डी0सं0–05/18–19) के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2652 (ई) अनु0 दिनांक–06.04.18 द्वारा संचिका संख्या–निग/सारा–द0बि0 (ग्रा0)–मुक0–23/2017 के टिप्पणी भाग पृ0–18–20/टि0 कुल–03 पृष्ठों की छाया प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

17.04.18

प्रशाखा पदाधिकारी–13/14
–सह–सहायक लोक सूचना पदाधिकारी।

450/ 18-4-18

464 18/04/18

18/4

E/Nigrani Section-2011-12/Uttam/suchna ka adhikar

पृ0 13–15 / टि0 पर स्थित कार्यालय टिप्पणी।

पृ0–137–124 / प0 पर रक्षित श्री राजकिशोर सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन प्रखंड–शेरघाटी, गया सम्प्रति– पथ निर्माण विभाग के अधीन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड विशेष कार्य प्रमंडल, खगड़िया, बिहार के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन का अवलोकन किया जा सकता है, जिसके माध्यम से CWJC No-12750/2007, Civil Review No-48/2015 एवं L.P.A No-1710/2015 में दिनांक–27.01.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय दण्डादेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में **ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, शेरघाटी प्रमंडल, गया के पदस्थापन काल में पलकिया ग्राम में निर्माणाधीन प्राथमिकी विद्यालय भवन योजना सं0–01 / 02–03 मे घोर अनियमितता बरते जाने के लिए श्री राजकिशोर सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध प्रपत्र "क" के तहत गठित कुल 03 आरोपों के सदर्भ में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।**

संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के तहत श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया, जिसकी विभागीय समीक्षा के उपरांत उत्पन्न असहमति के बिन्दुओं को रेखांकित करते हुए श्री सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। **श्री सिन्हा के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को तथ्यगत नहीं पाये जाने एवं वित्तीय नियमों / प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए उन्हें कनीय अभियंता के वेतनमान के नयूनतम प्रकम पर अवनत किये जाने एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त इन्हें कुछ भी देय नहीं होगा,** परंतु उक्त अवधि अन्य प्रयोजनार्थ कर्तव्य अवधि मानी जाएगी का दण्ड संसूचित किया गया।

उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध श्री सिन्हा के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 24(2) के अधीन पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, **जिसे मापी पुस्त में विधिवत प्रविष्टि किये बिना हीं अग्रिम की अनुशंसा करने को नियम संगत नहीं होने के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया।**

उक्त अस्वीकृति एवं प्रासंगिक दण्डादेश के आलोक में श्री सिन्हा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No-12750/2007 दायर किया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात् अस्वीकृत कर दिया गया। श्री सिन्हा द्वारा Civil Review No-48/2015 दायर किया गया, जिसकी सुनवाई के पश्चात् उसे पुनः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

तत्पश्चात श्री सिन्हा के द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय में L.P.A No-1710/2015 तथा L.P.A No-1711/2015. दायर किया गया, जिसमें दिनांक–27.01.16

अभिप्रमाणित

प्रशाखा पदाधिकारी
पथ निर्माण विभाग
बिहार, पटना

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–14.01.06 एवं 07.03.07 के विभागीय आदेश को अमान्य करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में नियम–14 के आलोक में दण्ड अधिरोपण के बिन्दु पर निर्णय लेते हुए सक्षम प्राधिकार को बिहार सेवा संहिता के नियम–97 के अनुरूप पृथक रूप से आदेश पारित करने की भी स्वतंत्रता दी गई।

तदालोक में विभाग द्वारा मामलें की पुर्नसमीक्षा के उपरांत दण्डादेश की प्रभावी स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुखर आदेश (Speaking Order) पारित किया गया –

(i) कार्यालय आदेश सं0–258 सह–पठित ज्ञापांक–11873(एस) दिनांक–14.10.06 के द्वारा संसूचित दण्डादेश यह स्वतः स्पष्ट आशय है कि श्री सिन्हा को कनीय अभियंता के वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनत किया गया है।

(ii) जहाँ तक निलंबन अवधि में वेतन/भत्ता भुगतान किये जाने का प्रश्न है तो सिन्हा को दिनांक–21.09.05 से दिनांक–31.10.06 तक के निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परंतु उक्त अवधि अन्य प्रयोजनार्थ कर्तव्य अवधि मानी जाएगी।

(iii) इसी प्रकार, बिहार सरकारी सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली) 2005, के नियम–14 की उपकंडिका (vii) के अनुरूप श्री सिन्हा को दिनांक–14.10.16 के पश्चात् न्यूनतम प्रक्रम के वेतनमान मे नियमानुसार अगली वेतन वृद्धियाँ अनुमान्य होगी।

सम्प्रति श्री सिन्हा के द्वारा वर्णित मुखर आदेश (Speaking Order) को निरस्त कर पुनर्विचार करने हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

विदित हो कि श्री सिन्हा के द्वारा समानान्तर रूप से उक्त मुखर आदेश को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय मे नये सिरे से पुनः C.W.J.C No- 12240/2017 राज किशोर सिन्हा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया है, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा Oath No- 15882 dated 17.01.18 के माध्यम से प्रतिशपथ भी दायर कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर पुनर्विचार किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सिन्हा के दिनांक–06.10.17 के अभ्यावेदन को C.W.J.C. No- 12240/2017 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किये जाने तक इसे स्थगित रखे जाने के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

17/AS 19/01/18

अपर सचिव

18/01/18
(रजनीश कुमार)

अभिप्रमाणित

प्रशाखा पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संचिका संख्या

टिप्पणी पृष्ट सं0

पृ0 13/टि0 से टिप्पणी।

प्रश्नगत मामला श्री राजकिशोर सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन प्रखंड–शेरघाटी, गया सम्प्रति–पथ निर्माण विभाग के अधीन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड विशेष कार्य प्रमंडल, खगड़िया, बिहार के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन जो CWJC NO.-12750/2007, Civil Review No.-48/2015 एवं LPA NO.-1710/2015 में दि0 27.01.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय दंडादेश को निरस्त किये जाने से संबंधित है, पर विचार किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि श्री सिन्हा को प्रमाणित आरोपो के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए उन्हें कनीय अभियंता के वेतनमान के नयूनतम प्रक्रम पर अवनत किये जाने एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त इन्हें कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि अन्य प्रयोजनार्थ कर्तव्य अवधि मानी जाएगी का दंड संसूचित किया गया।

श्री सिन्हा के द्वारा प्रासंगिक दंडादेश के विरूद्ध जो CWJC एवं Civil Review दायर किया गया था, को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया है। श्री सिन्हा के द्वारा इसी मामले में माननीय उच्च न्यायालय में दायर LPA को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में नियम–14 के आलोक में दंड अधिरोपण के बिन्दु पर निर्णय लेते हुए सक्षम प्राधिकार को बिहार सेवा संहिता के नियम–97 के अनुरूप पृथक रूप से आदेश पारित करने की भी स्वतंत्रता दी गई।

तदालोक में विभाग द्वारा मामलें की पुर्नसमीक्षा के उपरांत दंडादेश की प्रभावी स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुखर आदेश (Speaking Oreder) पारित किया गया। जिसे श्री सिन्हा के द्वारा निरस्त करने हेतु पुनः अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

विदित हो कि श्री सिन्हा के मामले में विभाग द्वारा समानान्तर रूप से उक्त मुखर आदेश को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में नये सिरे से पुनः CWJC NO.-12240/2017 राज किशोर सिन्हा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया है, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा Oath No.-15882 dated 17.01.18 के माध्यम से प्रतिशपथ भी दायर कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर पुनर्विचार किया जाना यथोचित नहीं होगा।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सिन्हा के दि0 06.10.17 के अभ्यावेदन को CWJC NO.-12240/2017 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किये जाने तक इसे स्थगित रखा जा सकता है।

आदेशार्थ।

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)

प्रधान सचिव

अभिप्रमाणित

प्रशाखा पदाधिकारी
पथ निर्माण विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग